



2026:AHC:22346

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट ए संख्या 7435 वर्ष 2024

रवेंदर सिंह धेनुआ

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: अभय कुमार सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव, ज्ञानेंद्र त्रिपाठी
: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना।
- विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त कथन दिया है कि वे आगे कोई शपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नवीन स्तर पर ही निर्णय लिया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को 04.04.2017 को 'एमजीनरेगा' नामक योजना के अंतर्गत संविदा आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, खंड विकास अधिकारी, नौझील, मथुरा द्वारा 30.03.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता से पूछा गया था कि उसके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई क्यों न की जाए। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने 06.04.2024 को अपना जवाब दिया था, हालांकि, अब खंड विकास अधिकारी, नौझील, मथुरा द्वारा 30.04.2024 को पारित आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।
- इसी पर प्रश्न उठाते हुए याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि चुनौती दिए गए आदेश को एक क्षण के लिए भी मान्य नहीं ठहराया जा सकता, विशेषकर तब जब कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब भी दिया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर कोई विचार नहीं किया गया और उन पर ध्यान भी नहीं दिया गया है। निवेदन यह है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसका जवाब भी प्रस्तुत किया गया था, और आदेश जारी करने वाले व्यक्ति पर मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार करने का विधिक दायित्व है।
- दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि विचाराधीन आदेश में उठाए गए तर्कों पर विचार नहीं किया गया है, उनके अनुसार, आदेश को अपास्त कर दिया जाए और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए।
- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।
- तथ्य विवादित नहीं हैं। यह विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता संविदा कर्मचारी है और कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत है। हालांकि, याचिकाकर्ता को 30.03.2024 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब याचिकाकर्ता ने 06.04.2024 को दिया और विवादित आदेश 30.04.2024 को बिना कोई कारण बताए पारित कर दिया गया। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। चूंकि विवादित आदेश उठाई गई आपत्तियों के बारे में पूरी तरह से मौन है और उस पर कोई विचार नहीं किया गया है, इसलिए विवादित आदेश को मान्य नहीं किया जा सकता है।
- तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित तरीके से किया जा रहा है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(क) प्रत्यर्थी संख्या 2, खंड विकास अधिकारी, नौज़ील, मथुरा द्वारा दिनांक 30.04.2024 को पारित विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है।

(ख) मामले को वापस भेजा जाता है ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर विधि के अनुसार सख्ती से नया आदेश पारित किया जा सके।

10. आदेश को अपास्त करने से याचिकाकर्ता को स्वतः ही बहाली का अधिकार नहीं मिल जाएगा, क्योंकि यह इस संबंध में पारित किए जाने वाले आगे के आदेशों के अधीन होगा।

11. तदनुसार, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है।

2 फरवरी 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"